



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 550/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं०(04)/2008

दिनांक 26 मई, 2009

**विषय:-** वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमन्यता तथा पदोन्नति पर मूल नियम-22'बी' के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि के लिए विकल्प के सम्बन्ध में।

**कार्यालय ज्ञाप**

निगम के कार्मिकों हेतु दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना प्रभावी किए जाने तथा उनके वेतन निर्धारण किए जाने सम्बन्धी आदेश संख्या 320/मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2009-43-मा०सं० (04)/2008 दिनांक 28.02.2009 को जारी किया गया तदनुसार समस्त कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि दिनांक 01 जुलाई रखी गई है। उक्त आदेश के प्रस्तर-8 (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

पूर्व आदेशित व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
<b>8 (1)</b> वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात पहली वेतन वृद्धि दिनांक 01 जुलाई 2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जायेगी, जिनकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख दिनांक 01 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 तक होगी।	<b>8 (1)</b> वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी। 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी गत वेतन वृद्धि दिनांक 02.01.2005 से दिनांक 01.01.2006 के मध्य अर्जित की है, उन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी। ऐसे कर्मचारी जिनकी आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को अर्जित होती हो उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित किया जाएगा, ऐसे कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को देय होगी।

**पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण**

पुनरीक्षित वेतन संरचना की व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप किसी भी कार्मिक की पदोन्नति अथवा समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता होने पर सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय नियम-23 (1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह पदोन्नति/समयबद्ध वेतनमान की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प दे सकता है।

**पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :-**

1. यदि सम्बन्धित कार्मिक पदोन्नति पर निम्न पद की वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो पदोन्नति की तिथि को वेतन बैंड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। अगली

